न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 105/2014

1. श्री गोपाल पुत्र हजारी।
2. श्री रामदेव पुत्र हजारी।
3. श्रीमती रामकन्या पत्नी छीतर।
4. श्री लालाराम पुत्र छीतर।
5. श्री गणेश पुत्र छीतर।
6. श्री रामराज पुत्र छीतर।
7. श्री सुरेश पुत्र छीतर।
8. श्री रामचन्द्र पुत्र किशन।
9. श्री रामेश्वर पुत्र रामरतन।
10. श्री प्रहलाद पुत्र रामरतन।
11. श्री सत्यनारायण पुत्र रामरतन।
12. श्री गणपत पुत्र मूला।
13. श्री जगदीश पुत्र पोखर।
14. श्रीमती मनभर पत्नी श्रवण।
15. श्री सोराज पुत्र श्रवण।
16. श्री हरिराम पुत्र श्रवण।
17. श्री रामकरण पुत्र माधू।
18. श्री भैरू पुत्र माधू।
19. श्री जगन्नाथ पुत्र बन्ना।
20. श्री रिद्धकरण पुत्र बन्ना।

सभी जातिगण जाट निवासीगण ग्राम मूण्डोती तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।
2. श्री गणेश पुत्र श्री लाडू जाति भील निवासी ग्राम मूण्डोती तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. श्रीमती नौसर पत्नी श्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम मूण्डोती तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

वकील 1. श्री भंवरलाल शर्मा, प्रार्थी।
2. श्री दौलत सिंह राठौड़, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः— 24.01.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजीयात मौजा ग्राम मूण्डोती तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खसरा नं.	रकबा	किस्म
1/4	05—00—00	बंजर 2
1/5	04—00—00	बंजर 2

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त वर्णित अराजीयात के समीप ही प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है एवं वर्षो से उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम उक्त आराजी मिथ्या व असत्य आधारों पर आवंटित की गई है आंवटन आदेश की विरूद्ध अलग से अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 का किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की नीयत बद है एवं जबरन एवं नाजायज रूप से प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है और काश्त कर रहे है। इस कारण प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रार्थीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है और अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से विलोपित किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है और विधि विरूद्ध भी है इस कारण आवंटन आदेश व नामान्तकरण निरस्त किये जाने तथा प्रार्थीगण को खातेदार घोषित जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी कि उक्त आराजी पर जबरन व नाजायज रूप से कब्जा करेगें। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मूण्डोती संवत् 2070–2073
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मूण्डोती संवत् 2070–2073

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा जरिए विद्वान अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया किः–

यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा सं. 4 के कथन जिस प्रकार वर्णित है गलत है अस्वीकार है। वाद वर्णित आराजी से प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों का कोई वास्ता सरोकार नहीं है न कभी रहा है। प्रार्थीगण का उपरोक्त वाद वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है तो फसल प्राप्त करने का कथन कतई मानने योग्य नहीं है। यह कि अप्रार्थीगणों को आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने की आज दिवस तक कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजी नियमानुसार आवंटन हुयी एवं आवंटन नियमों की पूर्णतः पालना होने से उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये है जो आज भी अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने तथा अप्रार्थी द्वारा वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करने तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 12.01.2015 (गोपाल बनाम श्रीमती नोसर) की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी (बाबत अपील पोषणीय नहीं होने के क्रम में) स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अपील खारिज की गई कि आवंटन को भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष शिकायत कर चुनौती दी जा सकती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व बहस के तथ्यों पर गहन विधिक मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वर्तमान में अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

विवादित आराजी अप्रार्थी की आवंटन शुदा आराजी है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की अपील करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। चूंकि रिकार्डेड खातेदार के सेटल पजेशन मानने की अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

चूंकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के स्वत्व फिलहाल प्रभावित नहीं है। प्रकरण में वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण का सेटल पजेशन है। अतः अपरिमित क्षति के तथ्य भी अप्रार्थी के पक्ष में प्रबल है।

प्रार्थी विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरांत विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र या अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.24 13:07:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: